




श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)  
जोबनेर जिला :जयपुर (राजस्थान) 303329

No.( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2026/4548

Date: 08/06/26


खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय) जोबनेर, जयपुर के आसलपुर फार्म पर खरीफ 2026 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन हेतु हिस्सा आधारित खेती लगभग 15 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 23.06.2026 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 500/- रुपये महाविद्यालय के लेखा शाखा कार्यालय में नगद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in) या [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रुपये 500/- की रसीद या डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा जारी होने के पश्चात 500/-रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि कार्यालय में नगद/डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 23.06.2025 को दोपहर 02.15 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in), [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

  
अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि स्वयं/नामित सदस्य को दिनांक 23.06.2026 को कार्यालय श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in) पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. फार्म इंचार्ज, आसलपुर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
5. कैशियर/अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

  
विभागाध्यक्ष  
उद्यान विज्ञान विभाग



# उद्यान विज्ञान विभाग

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329

फोन नं. 01425-254022(कार्यालय) e-mail - @sknau.ac.in

No.( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2026/4548

Date: 08/06/26

## निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :-

1. योजना का नाम:	खरीफ फसलें – वर्ष 2026 हिस्सा आधारित खेती	
2. बजट मद:	रिवोल्विंग फंड	
3. कार्य की अनुमानित अवधि:	6 माह (एक सीजन खरीफ 2026)	
4. अमानत राशि की प्रकृति व राशि:	सफल निविदादाता को 500/- प्रति हैक्टर की दर से डी0डी0 या नगद द्वारा कार्यालय में जमा करवानी होगी।	
5. निविदा खोलने की दिनांक व समय :-	23.06.2026 दोपहर: 2.15 बजे	
6. निविदादाता :	कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।	
कं.सं	बोई जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)
1	सम्भावित बोई जाने वाली फसलें – ग्वार (13 हे.), मूँग (2 हे.)	

निविदा की शर्तें :-

- हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई-गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप में करवाई जा सकती है।
- बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होंगे। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होंगे।
- खड़ी फसल में हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल में निराई-गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक के सभी कार्य करने होंगे।
- फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय फार्म प्रभारी, आसलपुर फार्म के निर्देशानुसार करने होंगे।
- हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद 500/- प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
- बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) फार्म प्रभारी, आसलपुर फार्म द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवाये जायेंगे तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।

लि

8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणों, औजारों, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख-रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक, आसलपुर फार्म के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिकों व औजारों की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चौकीदारी, पशु-पक्षियों से रखवाली, फसलों के आस-पास की सफाई हिस्साधारक को दिन व रात में करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यवसायिक उत्पादन में हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम में रखने का कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक, आसलपुर फार्म की देखरेख में करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
15. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी में 7 दिन पहले एवं 7 दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होंगे।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
19. मौसम या अन्य कारणों से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. फार्म प्रभारी निविदा के समय केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तों को भी शामिल कर सकते हैं।
21. केन्द्र द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार में रखने से एक माह में हिस्सा राशि संबंधित हिस्साधारक को अदा की जाएगी।
22. निराई गुड़ाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त बीज व चारे को इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा।
23. थ्रेसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
24. फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना) का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
25. प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के ऊपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
26. किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ निविदा स्वीकृत नहीं होगा।

दि

